उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

संख्या : 3/2023/42/94-1-2023-312(83)/2015

लखनऊ, दिनांक : 28 मार्च, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से:-

(1) नीचे अनुसूची-क तथा अनुसूची-ख में दिए गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये जिला गौतमबुद्ध नगर में नया निबंधन उप जिला ''दादरी-2'' सृजित करती हैं; तथा

(2) नीचे अनुसूची-क तथा अनुसूची-ख में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुये जिला गौतमबुद्ध नगर के निबन्धन उप जिला 'दादरी' की सीमाओं में परिवर्तित करती हैं।

अनुसूची-क

जिला गौतमबुद्ध नगर के निबंधन उप-जिला दादरी से अपवर्जित किये गये तथा नवसृजित निबंधन उप-जिला ''दादरी-2'' में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची:-

1.	ऐमनाबाद	2.	इटहैरा	3.	चिपियाना खुर्द उर्फ तिगरी
4.	रोजा याकूबपुर	5.	रोजा जलालपुर	6.	पतवाड़ी
7.	बिसरख जलालपुर	8.	शाहबेरी	9.	हल्दौनी
10.	जलपुरा	11.	सादुल्लापुर		

अनुसूची-ख

जिला गौतमबुद्ध नगर के निबंधन उप-जिला दादरी से अपवर्जित किये गये तथा नवसृजित निबंधन उप-जिला ''दादरी-2'' में सम्मिलित किये गये राजस्व ग्रामों की सूची:-

1.	खैरपुर गुर्जर	2.	मिलक लच्छी	3.	वैदपुरा
4.	सैनी	5.	जौनसमाना	6.	भोला रावल
7.	सुनपुरा	8.	खेड़ा चौगानपुर	9.	तुस्याना
10.	चिपियाना बुजुर्ग	11.	अच्छेजा	12.	खेड़ी
13.	खोदना खुर्द	14.	भनौता	15.	देवला
16.	खोदना कलां	17.	तिलपता करनवास	18.	पाली

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

19.	थापखेड़ा	20.	गिरधरपुर सुनारसी	21.	बिशनूली
22.	कचैडा वारसाबाद	23.	तालाबपुर उर्फ हाथीपुर	24.	दुरयाई
25.	दुजाना	26.	इस्लामाबाद कल्दा	27.	शादीपुर छिडौली
28.	इबादुल्लापुर उर्फ बादलपुर	29.	मायचा	30.	फतेहपुर रामपुर
31.	रिठौरी	32.	रायपुर बांगर	33.	घोड़ी बछेड़ा
34.	जुनपत	35.	सादोपुर	36.	किरांचपुर उर्फ कैलाशपुर
37.	रूपवास	38.	पल्ला	39.	दतावली
40.	चमरावली बोडाकी	41.	हजरतपुर	42.	चमरावली रामगढ़
43.	अजायबपुर	44.	समाउद्दीनपुर	45.	कैमराला चक्रसैनपुर
46.	चिटहैरा	47.	कटहैरा	48.	बील अकबरपुर
49.	फुलपुर	50.	आनन्दपुर	51.	बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती
52.	धूम मानिकपुर	53.	दादरी	54.	बढ़पुरा
55.	बम्बावड	56.	महावड़	57.	कुडी खेड़ा
58.	प्यावली ताजपुर	59.	जैतपुर मौ० अनवरपुर	60.	आकिलपुर जागीर
61.	रसूलपुर डासना	62.	इरादतपुर उर्फ सजतपुर	63.	बिसाहड़ा
64.	तमौलीपुर	65.	पटौदी	66.	नगला क़िरानी
67.	महीउद्दीन पुर उर्फ गारबपुर	68.	शाहपुर खुर्द	69.	खटाना धीरखेड़ा
70.	दादूपुर खटाना	71.	सालारपुर कलां	72.	गुलावठी खुर्द
73.	गुठियानी	74.	औरंगाबाद	75.	उपलारसी
76.	चक्रसैनपुर उर्फ धनुबास	77.	जारचा	78.	छांयसा
79.	दयानगर	80.	छोलस	81.	सैंथली
82.	खण्डैरा	83.	मिलक खण्डैरा	84.	नूरपुर
85.	कोट	86.	भोगपुर	87.	नगला नैनसुख
88.	लुहारली	89.	बसंतपुर बांगर	90.	नगला चमरू
91.	यूसुफपुर उर्फ चक शाहबेरी	92.	डाबरा	93.	कूडी खेडा
94.	रानौली लतीफपुर	95.	आमका	96.	छपरौला
97.	ऊँचा अमीपुर	98.	कलौंदा	99.	खंगौडा
100.	चकसीदीपुर	101.	चौना	102.	जैतवारपुर
103.	ततारपुर	104.	सीदीपुर		

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय, जिसने अभी तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया हो, में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 3/2023/42/94-1-2023-312(83)/2015 दिनांक: 28 मार्च, 2023

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 28 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या : 3/2023/42/94-1-2023-312(83)/2015 दिनांक: 28 मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र०, कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र०, लखनऊ।
6. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
7. महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गैतमबुद्ध नगर।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबंधक, गौतमबुद्ध नगर।
10. उप महानिरीक्षक निबंधन, मेरठ मण्डल, मेरठ।
11. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गौतमबुद्ध नगर।
12. विधायी अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3/2023/42/94-1-2023-312(83)/2015, dated : 28 March, 2023

NOTIFICATION

No. 3/2023/42/94-1-2023-312(83)/2015
Lucknow, Dated : 28 March, 2023

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(1) create a new registration sub-district 'Dadri-2' of district Gautam Buddh Nagar by including revenue villages given in the Schedule-A and Schedule-B below; and

(2) alter the limits of registration sub-district 'Dadri' of district Gautam Buddh Nagar by excluding the areas of revenue villages given in the said Schedule-A and Schedule-B below.

SCHEDULE-A

List of revenue villages excluded from registration sub-district Dadri and included in the newly created registration sub-district "Dadri-2" of district Gautam Buddh Nagar

1	Aimanabad	2	Itahaira	3	Chipiyana Khurd alias Tigri
4	Roza Yakubpur	5	Roja Jalalpur	6	Patwadi
7	Bisrakh Jalalpur	8	Shaberry	9	Haldauni
10	Jalpura	11	Sadullapur		

SCHEDULE-B

List of revenue villages excluded from registration sub-district Dadri and included in the newly created registration sub-district "Dadri-2" of district Gautam Buddh Nagar.

1	Khairpur Gurjar	2	Milak Lachhi	3	Vaidpura	4	Saini
5	Jaunsamana	6	Bhola Rawal	7	Sunpura	8	Kheda Chauganpur
9	Tusyana	10	Chipiyana Buzurg	11	Achheja	12	Khedi
13	Khodna Khurd	14	Bhanauta	15	Devla	16	Khodna Kalan
17	Tilapata Karanwas	18	Pali	19	Thapkheda	20	Girdharpur Sunarsi
21	Bishnooli	22	Kachaida Warsabad	23	Talabpur alias Hathipur	24	Durayai
25	Dujana	26	Islamabad Kalda	27	Shadipur Chhidauli	28	Ibadullapur alias Badalpur
29	Maycha	30	Fatehpur Rampur	31	Rithauri	32	Raipur Bangar
33	Ghodi Bachheda	34	Junpat	35	Sadopur	36	Kiranchpur alias Kailashpur
37	Roopwas	38	Palla	39	Datawali	40	Chamrawali Bodaki
41	Hazaratpur	42	Chamrawali Ramgarh	43	Ajayabpur	44	Sama-Uddinpur
45	Kaimrala Chakrasainpur	46	Chitahaira	47	Katahaira	48	Beel Akbarpur
49	Phulpur	50	Anandpur	51	Bairangpur alias	52	Dhoom Manikpur

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					Nai Basti		
53	Dadri	54	Badhpura	55	Bambawad	56	Mahavad
57	Kudi Kheda	58	Pyavali Tajpur	59	Jaitpur Mauja Anwarpur	60	Aakilpur Jagir
61	Rasulpur Dasna	62	Iradatpur alias Rajatpur	63	Bisahada	64	Tamaulipur
65	Pataudi	66	Nagla Kirani	67	Mahiuddin Pur alias Garabpur	68	Shahpur Khurd
69	Khatana Dhirkheda	70	Dadupur Khatana	71	Salarpur Kalan	72	Gulavathi Khurd
73	Muthiani	74	Aurangabad	75	Uplarsi	76	Chakrasainpur alias Dhanubas
77	Jarcha	78	Chhayansa	79	Dayanagar	80	Chholas
81	Sainthali	82	Khandaira	83	Milak Khandaira	84	Noorpur
85	Koat	86	Bhogpur	87	Nagla Nainsukh	88	Luharli
89	Basantpur Bangar	90	Nagla Chamru	91	Yusufpur alias Chak Shahberi	92	Dabra
93	Kudi Kheda	94	Ranauli Latifpur	95	Aamka	96	Chhapraula
97	Uncha Amipur	98	Kalaunda	99	Khangauda	100	Chaksidipur
101	Chauna	102	Jaitwarpur	103	Tatarpur	104	Seedipur

The Governor further directs that any effect of this notification in any court of law, which has used its jurisdiction in relation to the said areas, shall not be initiated on any preliminary proceeding or any legal proceeding in question.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।